

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में घनसाली-मयाली मोटर मार्ग पर स्थित कुटमुण पुल से उछना ढँचल तक सड़क निर्माण, के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 29.01.2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री दिलवरी लाल शाह, वन दरोगा, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री योगेश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री गजपाल सिंह मेट के द्वारा निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 1.2250 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.1225 हे०, वन पंचायत भूमि 0.0000 हे० एवं नाप भूमि 2.1525 हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।
(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है).....

प्रस्तावित समरेखण एक मात्र विकल्प है। इस समरेखण पर प्रभावित होने वाली वन भूमि/वृक्षों की संख्या न्यूनतम है तथा इस समरेखण पर कोई विवाद नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्र अधिकारी
वन विभाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

पटवारी

तहसीलदार
जखोली

उप जिलाधिकारी
जखोली

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

प्रति हस्ताक्षरित
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

[illegible]

Photo Copy Attested.
 Assistant Engineer
 Prov. Division PWD
 Rudraprayag

**SITE INSPECTION NOTE BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (for diversion under FCA-1980) of **3.500 ha.** of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of **Kutmun Pull to Uchana-Dhenchal motor road.** The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring **1.3475 ha.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part-I is unavoidable and is base minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area. if, so the details there of with NOC from competent authority, if required :-

a) The user agency has not violated the provisions of forest. (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place

Name

Date

Designation.....

Office Seal.

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest and site inspection report from the conservation of forests is required.